IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

*वस्तु एवं सेवा कर: एक संक्षिप्त मूल्यांकन *

(Goods and Services Tax)

डॉ अर्चना कुमारी वर्मा

प्रवक्ता अर्थशास्त्र

महाराणा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पी जी कालेज

नगहरा अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना- GST भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जो 1 जुलाई 2017 से लागू है एक अपूर्व व्यवस्था है। भारत में GST लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन की आसान बनाना था। एवं इस व्यवस्था को सरकार व अनेक अर्थशास्त्रियो द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया। इस सुधार के अन्तर्गत केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न- भिन्न दरों पर आधारित है अधिरोपित किये जा रहे विभिन्न करो को हटाकर सम्पूर्ण देश के लिए एक ही अप्रत्यक्षकर प्रणाली लागू की गई है, जिससे भारत को 'एकीकृत साझा बाजार' बनाया जा सके। इस' व्यवस्था को अधिरोपित करने के लिए • संविधान में संशोधन किया गया है। यह केन्द्र एवं राज्यों के साथ एक सामान्य कर आधार पर अरोपित एक दोहरा GST है। वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर – राज्य आपूर्ति पर केन्द्र द्वारा लगाये गये कर को केन्द्रीय जी एस टी ((GST) तथा राज्यों द्वारा लगाये गये करों को राज्य जीएसटी (SGST) कहा जायेगा।

इस लेख में जडा और उसकी प्रमुख अवधारणाओं और वर्तमान की पूरी स्थिति का अवलोकन करने की कोशिश की गई है।

GSTएक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाता हो इसे समझने के लिए हमें बहुस्तरीय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, कोई की वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से होकर गुजरता है।

पहला चरण है कच्चे माल को खरीदना। दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण करना होता है फिर सामग्रियो को भंडारण में रखने की व्यवस्था है। इसके बाद उत्पाद फुटकर विक्रेता के पास जाता है और अंतिम चरण में रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को माल बेचता है।

सचित्र द्वारा विभिन्न चरणो की व्याख्या-

कच्चे माल की खरीद

□

उत्पादन

□

होल्सेलर/फुटकर विक्रेता

□

उपभोक्ता को अंतिम बिक्री

□

रिटेलर की बिक्री

इन चरणों में GSTलगाया जाता है। और यह एक बहुस्तरीय कर होगा, यह कैसे होगा?आइये इसे हम समझने की कोशिश करते है। लेकिन इसने पहले हम "वैल्यू एंडिशन के बारे में बात करे। मान ले एक निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। जिससे बुनाई करने कपड़े का निर्माण होगा फिर कपड़े से शर्ट बनेगा। इसका मतलब है कि जब एक कपड़े में बुना जाता है तो धागे का मूल्य बढ़ जाता है, फिर कपड़े से शर्ट बनने पर उसके मूल्य और वृद्धि हो जाती है। इसके इसके बाद निर्माता इसे वेयर हाऊसिंग एजेंट को भेजता है जो प्रत्येक शर्ट में लेवल एवं टैग जोड़ता है। यह मूल्य वा एक संवर्धन हो जाता है। इसके बाद कि वेयर हाउल रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग-2 से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है।

इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शई के मूल्य में • वृद्धि हो जाती है। इन चरण में मौद्रिक मूल्य इस तरह प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड दिया जाता है। और इस मूल्य संवर्धन पर होता है • अर्थात जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। और इस मूल्य संवर्धन पर GST1लगाया जाता है तथा पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान वाले सभी लेन-देन पर GST लगाया जायेगा। इससे पहले जब एक उत्पादका निर्माण किया जाता था तो राज्य वैट जोड़ता हैफिर विक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा।

अब GST के हर स्तर पर GST लगाया जाता है। मान लीजिए कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रहीं है और कर्नाटक में अंतिम विक्री हो रही है। चूंकि GST खपत के समय लगाया जाता है, इसीलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयर हाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा ।लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्यो कि यह गंतव्य आधारित कर रहा है और यह राजस्व विक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जायेगा जो कि कर्नाटक है।

सारांश-

भारत एक राज्यों का संघ है, जहाँ केन्द्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है। दोनो सरकार के स्तर पर अलग- अलग जिम्मेदारियों के निष्पादन के अंतर्गत संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है। GST वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए '122 वाँ संविधान संशोधन विधेयक' लाया गया, जिसे 3 अगस्त, 2016 को राज्य सभा द्वारा तथा 8 अगस्त 2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा सम्पूर्ण भारत से करो को हटाकर एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई, जिससे भारत को 'एकीकृत साझा बाजार' बनाया जा सके। वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 में एक अपूर्व अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में लागू किया गया, जिसे सरकार तथ एवं अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। यह केन्द्र एवं राज्यों के साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित एक बोहरा GST है। वस्तुओं एवं सेवाओ की अन्तर राज्य आपूर्ति पर केन्द्र द्वारा लगाये गये कर

को केन्द्रीय जी एस टी (CGST) तथा राज्यों द्वारा लगाये गये करों को राज्य जीएसटी (SGST) कहा गया। GST मानव उपभोग के लिए उपयोग होने वाली शराब तथा पांच प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद, यथा मथा- पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल), मोटर स्पिरिट (पेट्रोन हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल को छोड़कर सभी वस्तुमों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर GST लागू होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (IGST) का आरोपण एवं वसूली केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। IGST में से BSGST का हिस्सा, गंतव्य राज्य को जहाँ वस्तुओं और सेवाओ का अंतिम रूप से उपभोग होगा, स्थानांतरित करने के संदर्भ में समय- समय पर लेखाओं का निपटारा होगा। GST से भारत में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेगी और इससे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल 'मेक इन इंडिया' को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके आल अलावा सभी आमाहित वस्तुओं पर एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) आरोपित किया जाता है। जो कि CGST+SGST के समतल्प होगा। परिणामस्वरूप आयतित उत्पादों और स्थानीय उत्पादों पर कराधान में समता आयेगी।

GST (वस्तु एवं सेवाकर) संवैधानिकता-

भारत एक राज्यों का संघ है, जहाँ केन्द्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है। दोनो सरकार के स्तर पर अलग-अलग जिम्मेदारियों के निष्पादन के अन्तर्गत संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया । GST विन्तीम संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 122 वो संविधान संशोधन विधेयक' लाया गया, जिसे 3 अगस्त 2016 को लोकसभा राज्य सभा द्वारा तथा 8 अगस्त 2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

आधे राज्यों के अनु-समर्थन के पश्चात 8 सितम्बर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत यह " 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016" के रूप में अधिनियमित किया गया। इस प्रकार GST सम्पूर्ण भारत में मन 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 101 बाँ संविधान संशोधन द्वारा तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेदो कसे संविधान में अंतःस्थापित किया गया –

* अनुच्छेद 246-क- माल एवं सेवाकर के सम्बन्ध में विशेष उपबंध;

*अनुच्छेद 269क अन्तर्राज्यीक व्यापार या वाधिज्य के अनुक्रम में माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, 269क अन्तर्राज्यीक व्यापार या वाधिज्य के अनुक्रम में माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण,

* अनुच्छेद 279 क- एवं वस्तु सेवा कर परिषद

* अनुच्छेद 268 क- उक्त अनुच्छेद 101 बाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा स समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 88 बाँ संविधान संशोधन।अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। ध्यातव्य है कि यह • 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016-

*यह कर संघ एवं राज्यो द्वारा दोहरे GST प्रथाCGST तथा SGST के रूप में अलग-2 आरोपित किया जायेगा। * केन्द्र द्वारा आरोपित किये जाने वाले CGST के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा एवं इसी प्रकार राज्यों द्वारा आरोपित किये जाने वाले कर SGST के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संबन्धित राज्यों की विधायिका को होगा।'
* वस्तुओ/सेवाओ की अर्न्तप्रान्तीय आपूर्ति की स्थिति में IGST लागू होगी और इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा।
*अन्तराज्यीय व्यापार के सम्बन्ध मे GST आरोपित एवं संग्रहीत करने का अधिकार भारत सरकार को है तथा यह कर 'GST परिषद की संस्तुति के आधार केन्द्र एवं राज्यों के संसद द्वारा बनाये गये कानून के आधार हस्तान्तरित किया जायेगा।
*पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद GST की परिधि में है, किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में इन्हें GST से बाहर रखा जायेगा।

* तंबाकू और और उनके उत्पादो पर केन्द्र सरकार को GST के
* मनोरंजन एवं विनोद पर पंचायत, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा आरोपित किये जाने वाले कर Gst में सम्मिलित नहीं होंगे।

वस्तु एवं सेवाकर के प्रकार-

भारत मे जी एस टी को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है ,

1-_एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Intergrated Goods and services Tax: IGST

*यह कर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे अंतर्राज्यीय कर या राज्यों के बीच का कर भी कहते हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

2 -केन्द्रीय बस्तु एवं सेवाकर (Central Goods and Services Tax: (GST) – यह कर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओ की आपूर्ति पर लगाया जाता है। उपरोक्त कर दोहरे GST शासन के अनुसार लगाया जाता है। जिसे राज्यकर भी कहते है। यह केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

3 -राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State Goods and Services Tax: SGST) यह कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कर राज्य सरकार को देय है।

4 -केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (Union Territori Goods and Services Tax: UTGST) – UTGST केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा संघ राज्य, के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। उक्त कर संघ राज्य शासित सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। दो भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच बकाया निर्धारित करने में कठिनाई न हो, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा। GST लगाया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर(Goods and service tax council) की संवैधानिकता-GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279 क में किया गया है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 2795 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार. राष्ट्रपति "101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016" के लागू होने के 60 दिनों के अंदर एक 'GST परिषद् का गढ़ने करेगा। उपरोक्त उपबंधों के अनुपालनार्थ राष्ट्रपति ने 12 सितम्बर, 2016 को GST परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की। GST परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

GST परिषद् के सदस्य-

- (1) अध्यक्ष -:वित्त मंत्री
- (2) सदस्य -:वित्त राज्य मंत्री (ए) सदस्यः सभी 28 राज्य एवं
- 3 केंद्र गठबंधन प्रदेशों (दिल्ली, पड्डूचेरी एवं जम्मू और कश्मीर) के विन्त मंत्री / कसधान मंत्री अपका कोई अन्य मंत्री ।
- (4) उपाध्यक्ष: राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियो के बीच से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित एक सदस्य।
- इस प्रकार GST परिषद में केन्द्र एवं राज्यो । संघ राज्यों से कुल मिलाकर 33 सदस्य हैं।
- *GST परिषद द्वारा नवीनतम सिफारिशें -28 मई 2021 को विन्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 43 वीं जड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गयी। ध्यातव्य है कि कोविड-19 के कारण इस बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। GST परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST दरों में बदलाव और कानून एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित परिवर्तनों के सम्बन्ध में अधोलिखित सिफारिशें की –
- * कोविड-19 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वस्तुओ, जैसे- मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स, नैदानिक मार्कर परीक्षण किट किट तथा कोविड-19 टीकों को IGST से पूर्णतया छूट 31 अगस्त, 2021 तक प्रदान की गई।
- * केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमो, बैको तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए तटण की गारंटी के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को GST से छूट प्रदान की गई पोतो एवं जहाजों के सम्बन्ध में MRO (Maintenance Repair and Overhaul) सेवाओ पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

- GST परिषद के कार्य -अनुच्छेद 279 क (4) के तहत माल एवं सेवा कर परिषद ने अधोलिखित के सम्बन्ध में सम्बन्ध संघ एवं राज्यों को अपनी सिफारिशें की है।

*केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले कर, उपकर एवं अधिभार, जिन्हें GST के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

*ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर, जो GST के अधीन की जा सकती है मा जिन्हें छूट दी जा सकती है।

*मांडल GST कानून, करारोपण के सिकोत, I UST का विभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति स्थल को निर्धारित करते है।

* कुल विक्री की वह सीमा रेखा, जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को UST से छूट दी जा सकती है।

* वह दरे जिसमें GST बैंड सहित न्यूनतम दरें शामिल हैं। प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई विशेष दूर या निर्धारित अवधि के लिए तम की गई दरें।

* उत्तर-पूर्वी राज्यों/ संघ एवं पर्वतीय राज्यों। संघ राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर भणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों केसम्बन्ध में विशेष प्रावधान,

*GST परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में कम से कम कुल उपस्थित सदस्यो के तीन चौथाई के बहुमत से 15% के बराबर) मतदान करने के बाद लिया जात है। बैठक में कुल डाले गये मतो के 1/3 (एक-तिहाई हिस्से का महत्व केन्द्र सरकार के मतो का और बाकी सभी राज्यो राज्य सरकारों का एक एक साथ मिलकर कुल डाले गये मतो का दो तिहाई हिस्से का महत्व होगा। GST परिषद के सदस्यों की की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठको का कोरम गठित होगा। भारत में GST परिषद के प्रथम अध्यक्ष श्री अरुण जेटली थे, एवं वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीता रमन हैं। GST परिषद द्वारा 28 मई 2021 तब तक 43 बैठ बैठके तथा 2024 22 जून 2024 तक 53वीं बैठक नई दिल्ली में हुई।

GST (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की 53वीं बैठक में छोरे व्यवसायो के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायो को मंजूरी दी गई है, जिसमें छात्रावास आवास, रेलवे सेवाओ आदि को छूट दी गई है।बैठक में सात वर्षीय GST के अन्तर्गत विभिन्न कर दरो के पुनर्गठन पर चर्चा करने के लिए अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति व्यक्ति व्यक्त की गई है। तथा हाल में ही 9 सितम्बर 2024 को जड़ा परिषद की55 वी बैठक सम्पन्न हुई जो नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में कैंसर की दवाये एवं नमकीन पर GST दर सस्ती करने का फैसला किया गया है। इसस बैठक में कर दरो में बदलाव, व्यक्तियो को 1 राहत प्रदान करने तथा व्यापार को सुविधा जनक बनाने की के उपायो पर सिफारिशे की गई परिषद ने जीवन एवं स्वास्थ बीमा पर दर कम करने तथा तीन कैसर दवाओ पर १२% से घटाकर 50% कर दिया है। तथा साथ ही परिषद ने कार सीट कबर पर कर 18.1. से बढ़ाकर 28% कर दिया जब कि परिषद ने एकसटूडेड नमकीन स्नैक्स पर कर को 18% से घटाकर 12% करने को भी मंजूरी दे दी है।

जी एस टी एन(GSTN) की भूमिका (Role of goods and service tax network)-

जी.एस.टी. नेटवर्क, भारत की सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की सूचना तकनीकी माध्यम का आधार है। इसे GST की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। GSTN (जीएस टी. नेटवर्क) केन्द्रीय व राज्य सरकार सरकारों, कर दाताओं एवं अन्य हित धारकों को GST के कार्यान्वयन के लिए सूचना तकनीकी की बुनियादी सुविधाओं को साझा करेना करता है। इसके अन्तर्गत अधोलिखित कार्य शामिल होते हैं।

जैसे- (1) पंजीकरण सुविधा,

(2) केन्द्रीय और राज्य के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेसित करना।

(3) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणी का मिलान करना। 10) कर दाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण करना इत्यादि।GSTN के केन्द्र सरकार की भागीदारी 24.5 तथा राज्य सरकार की भी भागीदारी 24.5 है। शेष 51 प्रतिशत की भागीदारी पांच गैर सरकारी संस्थाको जैसे- HDFC लिमिटेडल, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, NSE स्ट्रेटजिक इनवेस्टमेंट कॉपोरेशन तथा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की है। GSTN की प्रक्रिया पूर्णतया सूचना तकनीकी पर आधारित है। इसी कारण GST परिषद ने इसे पूर्णतः सरकारी स्वामित्व कंपनी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

जी•एस टी से होने वाले लाभ-

जीएसटी लागू होने से सबसे अधिक लाभ आम आदमी को होगा। क्योकि इस स्थिति में किसी भी राज्य से वस्तुएं खरीदने पर वह एक ही दर मिलेगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के पास नोष येथ नोएडा, गुडगांव के निवासी के निवासी सस्ती मिलने वाली गाडी कभी उत्तर प्रदेश से लेते थे और कभी हरियाणा या दिल्ली से लेते थे। यह स्थिति वस्तु एवं सेवा के लागू होने से नहीं होगी क्योंकि पूरे देश में गाड़ी की कीमत एक समान होगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) से भारत में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भारत के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगी और इससे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल 'मेक इन इंडिया' को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सभी आपतित वस्तुओ पर एकीकृत माल और सेवाकर (IGST) आरोपित किया जायेगा जो CGST+SGST के समतुल्य होगा। परिणामस्वरूप आयतित उत्पादो और स्थानीय उत्पादो पर कराधान में समता आयेगी।

GST एक गंतव्य – आधारित कर है। यह बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। इसमें प्रदाय (सप्लाई) के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा और पिछले स्तर पर चुकाये गये कर का क्रेडिट प्रदाय के अगले स्तर पर समंजन (सैट-आफ) के लिए उपलब्ध होगा। फलस्वरूप कर का भार अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांत स्थानांतरित होता है। और उद्योगों को बेहतर नकदी प्रवाह और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रवन्धन से लाभ होता है।राज्य GST और एकीकृत / समेकित जीएसटी (IGST) की एक समान दरों से अपवचन में कमीमी आयेगी, क्योकि इससे पड़ोसी राज्य अपनी इच्छा से कर की दर लागू नहीं कर से सकेंगे एवं प्रत्येक राज्य में समान दर से लागू होगी।

GST मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है, इससे विभिन्न प्रक्रियायें जैसे- पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान इत्यादि अत्यधिक सुविधा जनक एवं स्वचालित हो सकेगी। मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाने से निर्णयों में तेजी होगी।

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से देश की अप्रत्यक्ष कर- सरंचना में बदलाव हुमा है। इससे केन्द्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स के साथ ही राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लाटरी टैक्स, एन्ट्री टैक्स, चुंगी आदि पर लगने वाले कर

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव -देश की अर्थव्यवस्था पर भी वस्तु एवं सेवा कर के सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस कर के लागू होने से देश में कर- चोरी के मामलों में कमी आयी है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है।

GST के सम्बन्ध में विचार-

वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने को सरकार, उद्योग जगत एवं अन्य विशेषज्ञ सकारात्मक ढंग से देख रहे है। इससे देश की विकास दर में बढ़ोत्तरी के साथ ही उपभोक्तामों, व्यापारियों तथा कम्पनियों को विभिन्न लाभ की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री स्व श्री अरुण जेटली का कहना था कि जी.एस. टी. को जल्द से जल्द लागू करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लागू होने के बाद पर टैक्स लगाने की व्यवस्था ही समाप्त हो हो जायेगी। इससे कारोबारी,राज्य और उपभोक्ता सभी को फायदा होगा सी.आई. आई. के महानिदेशक श्री चन्द्रजीत बनर्जी का मत है कि भारत को एकल बाजार बनाने की दिशा में यह पहला पहल कदम है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टिकोण से यह कर प्रक्षेत्र में सबसे अधिक गहन एवं दूरगामी परिणाम वाला सुधार है। यह उद्योगो को बड़े पैमाने पर विकास के लिए प्रेरित करेगा। इससे कम करो में कमी आयेगी जो उद्योगों के लिए लाभदायक होगा। श्री बनर्जी का कहना है कि कारोबर का आकार बढ़ने से विकास में तेजी आयेगी और राजस्व का संग्रह बढ़ने से हर राज्य को फायदा होन हुआ हो

***निष्कर्ष-**

भारत कर सुधार के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष कर की विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया गया है। विश्व स्तर पर फ्रांस ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम वर्ष 1954 में वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया। इन देशों में इस कर के सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए है। भारत में भी सरकार, उद्योग जगत एवं अन्य विशेषज्ञ इस के सकारात्मक ढ़ग देख रहे हैं। इस कर के लागू होने पर देश में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सरकार के में राजस्व में वृद्धि, उपभोक्ताओं को विभिन्न स्तर पर लाभ की आशा ही सही साबित हुई है।

*जी.एस.टी. (GST) वर्तमान टैक्स संरचना अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले कर संरचना दो करो में विभाजित थी- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जिसमें देनदारी मिली और को दी जा तकती है। परन्तु GST में ऐसा नहीं होता है

हॉल में ही 9 सितम्बर 2024 को GST की 54 वी बैठक हुई नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कैंसर की दवाओ, नमकीन स्नैक्स पर 18 प्रतिशत से घटाक 12 प्रतिशत करने दिषाका की मेजूरी दी गई है। तथा कैंसर की तीन दवाओं पर GST दर को 12% से घटाकर 5 प्रतिशत करने के फैसले के ऐलान होने से कैंसर पीड़ितों को काफी राहत मिलेगी।.किसी देश की कर प्रणाली अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तम्भ का निर्माण करती है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश में एक मजबूत, आसान और नागरिक – अनुकुल टैक्स फ्रेमवर्क मौजूद है। जीएसटी के साथ, भारत सरकार ने एक- मजबूत टैक्स क्लास्टर क्लस्टर स्थापित करने के साथ प्रयोग किया जो राष्ट्र और उसकी जनता के बेहतर होने के लिए काम करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

•Background Material on GST, The Institute of chartered Accountants of India, New Delhi, 2015
• http://www.empcom.gov.in/content/21-1- Committees.aspx
•http://en.wikipedia.org/wikiGoods_and_Services Tax-(India) Bill
•Times of India, Different issues.
• आर्थिकी ८ आर्थिक शोध पत्रिका) 15SN NO-0973-3434 जून 2015, वर्ष 47, अंक 1
•https://cbic-gst.gov.in
• https://www.bajajtinserv.in gst •mptax.mp.gov.